दैनिक जागरण

इंसान अपने बारे में जैसी कल्पना करता है, वैसा बन जाता है

कानून के शासन पर सवाल

आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से लंबी पूछताछ की। उन पर दुष्कर्म का आरोप उनके ही प्रबंधन वाले कॉलेज की एक छात्रा ने लगाया है। इस छात्रा का यह भी आरोप है कि चिन्मयानंद ने उसके साथ अन्य छात्राओं की भी जिंदगी बर्बाद की है। कायदे से यह सनसनीखेज आरोप सार्वजनिक होते ही स्थानीय पुलिस को चिन्मयानंद के खिलाफ जांच-पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह अच्छा नहीं हुआ कि इस मामले में कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रा की शिकायत का संज्ञान लिया। उसने ही उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले की छानबीन करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। क्या इस तरह के मामलों में पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तभी करेगी जब न्यायपालिका उनका संज्ञान लेगी? यह वह सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना चाहिए। निःसंदेह चिन्मयानंद प्रभावी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या इसके आधार पर वह पुलिस की कार्रवाई से बचे रहेंगे या फिर उनके खिलाफ मुश्किल से कार्रवाई शुरू हो सकेगी? फिलहाल किसी के लिए कहना कठिन है कि उन पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन पर पहले भी दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। हालांकि ताजा मामले में चिन्मयानंद के खिलाफ आए वीडियो को उनके वकील ने फर्जी बताया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह उनकी छवि को तार-तार करने वाला है।

विशेष जांच दल के लिए यह आवश्यक है कि वह चिन्मयानंद के खिलाफ आए वीडियो के साथ-साथ उस मामले की भी जांच करे जिसमें उनसे कथित तौर पर फिरौती मांगी गई है। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जांच-पड़ताल तेजी के साथ इस तरह हो कि यथाशीघ्र दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निःसंदेह यह एकलौता ऐसा मामला नहीं जिसमें स्थानीय पुलिस समय रहते सही तरह कार्रवाई करती नहीं दिखी। इसके पहले उन्नाव दुष्कर्म मामला इसीलिए सीबीआइ के पास गया, क्योंकि पीड़ित परिवार पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं था। कानून के शासन के लिए यह ठीक नहीं कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच करते समय पुलिस किसी तरह के दबाव में दिखे। दुर्भाग्य से एक अर्से से यही देखने को मिल रहा है। नेताओं और धर्मगुरुओं के मामले में ऐसा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। जब ऐसा होता है तो आम जनता के बीच यही संदेश जाता है कि रसूख वालों से त्रस्त लोगों के लिए न्याय पाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। नीति-नियंता यह ध्यान रखें तो बेहतर कि ऐसे संदेश कानून के शासन को नीचा दिखाते हैं।

बंगाल में छठा पे कमीशन

केंद्र समेत कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तनख्वाह मिल रही है। परंतु बंगाल में अब तक छठा पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ था। जबकि केंद्र सरकार ने 2006 में ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मियों व अधिकारियों का वेतनमान बढ़ा दिया था। अब करीब 14 वर्ष बाद आगामी वर्ष 2020 में एक जनवरी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को छठा वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देने का एलान किया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों के संगठन की सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर 17,990 रुपये होगा। वहीं ग्रेच्युटी को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। ममता ने कहा कि आज ही छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए गठित कमीशन की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि कमीशन जो भी सिफारिश करेगा वे उसे मान लेंगी। राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होने से सरकारी कर्मचारी ममता से बेहद नाराज चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को बढ़ा वेतन देने से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सिफारिशें एक जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद सचिवालय में बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर सकी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से लेकर कई और तरह की दिक्कतें थीं। इसके बाद उन्होंने आयोग के चेयरपर्सन अभिरूप सरकार से भी बात की थी। आयोग के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने मूल वेतन में 2.57 फीसद वृद्धि की सिफारिश की है। इससे राज्य सरकार पर 10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा का समर्थन किया था, जिसका खमियाजा राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सीटों के नुकसान के रूप में झेलना पड़ा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी को सरकारी कर्मचारियों के संगठन की जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्होंने जब पहली बैठक की तो पता चल गया कि वेतन वृद्धि न होने की वजह से सरकारी कर्मचारी तृणमूल सरकार से खासे नाराज हैं।

हिंदी के विस्तार में है अन्य भाषाओं का हित

कृपाशंकर चौबे

देश में जब भी हिंदी के विरोध में कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसका लाभ जाने-अनजाने अंग्रेजी के हिस्से में ही जाता है

अवधेश राजपूत

हिंदी की महत्ता तभी स्थापित हो गई थी जब वह स्वाधीनता संग्राम के समय समूचे देश को आपस में जोड़ने वाली सबसे सशक्त संपर्क भाषा बन गई थी। उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि अगर कोई भारतीय भाषा देशवासियों को एकजुट करने में सहायक बन सकती है तो वह हिंदी ही है। हिंदी की सामर्थ्य को गांधी ने भी समझा और नेता जी सुभाषचंद्र बोस ने भी। आचार्य बिनोवा भावे ने कहा था कि यदि मैंने हिंदी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भूदान, ग्राम-दान का संदेश जनता तक न पहुंचा पाता। हिंदी ने राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। उसे यह भी बोध रहा कि भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं के पूर्ण विकास से ही संभव है। हिंदी में वह शक्ति है कि वह अपने माध्यम से भारत को जोड़ सके। हिंदी को अपना स्थान अभी भी हासिल करना है। उसे इस मिथ्या धारणा को भी तोड़ना है कि विकास की भाषा तो अंग्रेजी ही है। अगर अंग्रेजी सचमुच विकास की भाषा होती तो पहले जापान और फिर जर्मनी और चीन ने अपनी भाषा में चमत्कारिक प्रगति न हासिल की होती।

हाल के समय में हिंदी ने उल्लेखनीय प्रगति और पहुंच स्थापित की है, लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि वह देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। हिंदी ज्ञान अर्जन की, विज्ञान एवं तकनीक की और सरकारी एवं गैर सरकारी कामकाज यानी रोजगार की सक्षम भाषा भी बननी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी उसे अपना मुकाम हासिल होगा। इस मुकाम को हासिल करने में हिंदी को गैर हिंदी भाषियों का सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। यह तभी हासिल हो सकता है जब हिंदी के प्रति अन्य भाषा-भाषियों की आशंकाओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। गैर हिंदी भाषियों में हिंदी को लेकर किसी तरह की आशंका उपजने न पाए, इसके लिए हिंदी प्रेमियों को सतर्क रहना होगा और इस क्रम में उन हिंदीतरभाषियों का स्मरण करना होगा जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में हिंदी के विस्तार में योगदान किया। इसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के उन लोगों को भी स्मरण रखना चाहिए जो रह-रहकर किसी न किसी बहाने हिंदी का विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसा करके वे हिंदी के साथ ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी अहित करते हैं, क्योंकि देश में जब भी हिंदी के विरोध में कहीं से कोई आवज उठती है तो जाने-अनजाने उसका लाभ अंग्रेजी के हिस्से में जाता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के वर्चस्व से तभी लड़ा जा सका जब हिंदी भाषी छात्रों के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र एकजुट हुए। इस एकजुटता को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी से उपजी अंग्रेजियत की संस्कृति यानी खुद को विशिष्ट समझने की मानसिकता हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक खतरा बनी हुई है।

बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म हिंदीतर क्षेत्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में तब हुआ जब वहां हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रमुख बांग्लाभाषी तारिणी चरण मित्र थे। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड' हिंदीतरभाषी क्षेत्र कलकत्ता से ही 30 मई, 1826 को निकला। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र 'समाचार सुधावर्षण' भी कलकत्ता से ही 1854 में निकला। इसे बांग्लाभाषी श्यामसुंदर सेन ने निकाला था। बांग्लाभाषी जस्टिस शारदाचरण मित्र ने देवनागरी लिपि के विस्तार के उद्देश्य से 'देवनागर' नामक पत्रिका 1907 में निकाली। हिंदी में पहला एमए होने का गौरव नलिनी मोहन सान्याल नामक एक बांग्लाभाषी ने पाया। ऐसा इसलिए हो सका, क्योंकि देश में पहली बार 1919 में हिंदी में एमए की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने शुरू कराई। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के हिंदी प्रेम को देखते हुए ही 20 दिसंबर, 1928 को कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन की स्वागत समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। वहां उन्होंने हिंदी के पक्ष में ऐतिहासिक भाषण हिंदी में ही दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को 1930 में हिंदी शिक्षक नियुक्त किया और 1940 में हिंदी भवन की स्थापना की। इसी तरह पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के हिंदीतरभाषियों ने विभिन्न कालखंडों में हिंदी को सींचने का महत्वपूर्ण काम किया।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देवनागरी लिपि के लिए एक हिंदीतरभाषी लेखक ने अपनी शहादत तक दी। ये थे बिनेश्वर ब्रह्म। वह असम में 'देवनागरी के नवदेवता के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप देने में सबसे अधिक योगदान महात्मा गांधी का है। 1934 में पूर्वोत्तर भारत में हिंदी प्रचार महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ। 1936 में उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। देवदास गांधी के साथ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 1918 में मद्रास गए और दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार-कार्य शुरू किया। वे दोनों दक्षिण भारत के सर्वप्रथम हिंदी प्रचारक माने जाते हैं। इसके पहले 1927 में दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार कार्य को हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के नियंत्रण से अलग करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नामक संस्था बनाई गई। यह संस्था आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हिंदी का प्रचार-प्रसार कर रही है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्यों के कारण दक्षिण भारत के हर राज्य में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी में पठन-पाठन प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1941 में मलयालम की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका 'मातृभूमि' में एक हिंदी खंड दिया जाने लगा। उसे केरल की पत्रकारिता की ऐतिहासिक घटना माना जाता है। लगभग एक वर्ष तक 'मातृभूमि' में हिंदी स्तंभ के तहत हिंदी कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृतांत छपते रहे। वास्तव में भारतीय भाषाओं के बीच पारस्परिक साझेदारी और आपसी संवेदना की ऐसी समझ का विकास होने पर ही अखिल भारतीय बोध का विस्तार होगा और तभी हिंदी दिवस सही अर्थों में अखिल भारतीय स्तर पर मनाया आएगा। आज अगर हिंदी राजभाषा के दर्जे तक सीमित है तो शायद इसीलिए कि सभी भारतीय भाषाओं के लोग इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वह राष्ट्रभाषा बने। यह समझने की जरूरत है कि हिंदी का विस्तार और विकास ही अन्य भारतीय भाषाओं के हित में है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

वक्त की मांग है महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा

डॉ. प्रीति अदाणी

अगर हम आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे

किसी भी समुदाय, वर्ग का सशक्तीकरण एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिवर्तन है जिसे प्रकट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। महिलाएं परिवारों के सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इससे उनकी पीढ़ी में तो बदलाव आता ही है, समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयासों के साथ उन उपायों पर नजर रखना जरूरी है जिनसे कहीं जल्द सार्थक नतीजे सामने आते हों। अगर हम बदलाव की बड़ी पहल करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता लाना महत्वपूर्ण होगा। महिलाओं के लिए कमाई के अवसर पैदा करने वाली सामुदायिक पहल संशय के माहौल को दूर करने में मददगार बनती है। आमतौर पर ग्रामीण भारत की महिलाएं चुनौतियों के दो व्यापक स्तरों पर जूझती हैं। पहला, आत्मविश्वास की कमी को लेकर और दूसरे, धारणाओं से लड़ने का दबाव, लेकिन जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करने वाली योजनाओं के जरिये इन दबावों से अच्छी तरह निपटा जा सकता है।

भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ वर्ष पहले मैकिंजी ग्लोबल ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि अगर भारत अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान अवसर पैदा कर सके तो वह साल 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया था कि दुनिया भर में लिंगभेद की समस्या को समाप्त करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर की भारी वृद्धि हो सकती है। जब एक गृहिणी आत्मनिर्भर हो जाती है तो उसका लाभ बढ़ी हुई पारिवारिक आय तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके द्वारा परिवार में लाए गए परिवर्तन पीढ़ियों की सोच में दिखने लगते हैं। इसीलिए अपने माता-पिता की तुलना में नई पीढ़ी शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास के प्रति ज्यादा जागरूक है। महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता देश में सांस्कृतिक परिवर्तन प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। स्किल इंडिया अभियान यानी कौशल प्रशिक्षण के जरिये करीब 17.72 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षित 10 में से लगभग 8 महिलाओं को या तो आजीविका के अवसर मिले हैं या उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद स्व-रोजगार शुरू किया है। इनमें से अधिकांश परिधान, ब्यूटी एंड वेलनेस और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शामिल हुई हैं। इन आंकड़ों से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। अपनी भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद आज महिलाएं घूंघट से परे जीवन को देखने के लिए उत्सुक हैं। इसका यह भी अर्थ है कि रोजगार का एक बाजार मौजूद है जो इस अप्रयुक्त कार्य बल का उपयोग करना चाहता है। हालांकि किसी क्षेत्र विशेष में निपुणता आवश्यक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। आज महिलाओं के भीतर अपनी पहचान को सामने लाने और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए गहरी उत्सुकता है। चूंकि भारत को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में माना जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। हमें इस मौके का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करने की राह आसान करनी चाहिए।

महिलाओं के लिए स्वतंत्र वातावरण बनाने के अलावा वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए उन्हें शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। समावेशी विकास को लेकर सरकारी सुधारों के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के प्रति पहले ही व्यापक जागरूकता आ चुकी है। अब खाते में न्यूनतम धन रखने की आवश्यकता, बीमा योजनाओं और संपत्ति में निवेश करने की पेशकश सहित कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं वित्तीय रूप से सुरक्षित हों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्वाब क्लॉज के अनुसार भविष्य की नौकरियां शीर्ष कंपनियों द्वारा नहीं, युवा उद्यमियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। हम देख सकते हैं कि भारत में महिलाओं की एक नई पीढ़ी युवा उद्यमी के रूप में तैयार होने की कगार पर है। निश्चित रूप से यह आगे चलकर दूसरी महिलाओं के लिए नौकरियों का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगी।

(लेखिका अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले

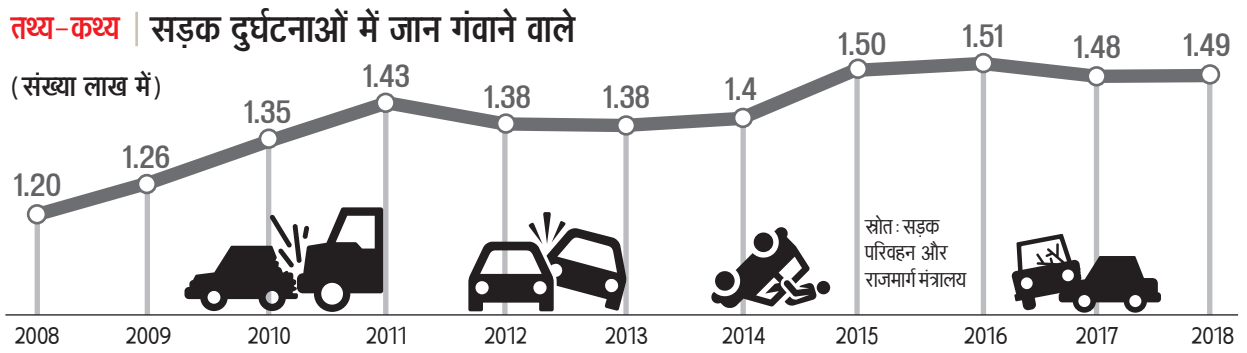

ऊर्जा

भोजन का संस्कार

भोजन इस धरती पर सभी प्राणियों के शरीर के पोषण के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे तन को ऊर्जा प्राप्त होती है और मन को संस्कार। यह हमारे शरीर को स्वस्थ तथा मन को पवित्र रखता है, किंतु भोजन की शुद्धता एवं इसके पकाने की प्रकृति पर मानव मन के स्वास्थ्य तथा चित्त की पवित्रता निर्भर करती है। भोजन की शुद्धियां चार प्रकार की होती हैं-क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि तथा भाव शुद्धि। भोजन बनाते समय या ग्रहण करते समय हमें क्षेत्र अर्थात स्थान की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पवित्र तथा स्वच्छ स्थान पर बनाया गया तथा ग्रहण किया गया भोजन शरीर को स्वस्थ तथा मन को सात्विक बनाता है। लिहाजा चौके में बिना नहाए हुए, गंदे तथा रोगी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए।

द्रव्य शुद्धि का आशय यह है कि भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री किन साधनों से प्राप्त की गई है-अनीति, अनाचार, अधर्म तथा पाप के धन से प्राप्त खाद्यान्न से निर्मित भोजन हमारे मन तथा आत्मा दोनों को दूषित करता है। पवित्रता, परिश्रम तथा ईमान की कमाई से अर्जित धन से प्राप्त भोजन मन को सुसंस्कृत करता है तथा आत्मा को परिष्कृत करता है। काल शुद्धि का अर्थ है, भोजन को सही समय पर करना। नियमित रूप से तथा भूख लगने पर ही भोजन करना शास्त्रों में उत्तम माना गया है। सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त के पूर्व किया गया भोजन ही श्रेष्ठ होता है।

इसके अतिरिक्त भोजन पर मानव भावों का भी बड़ा असर पड़ता है। क्रोध, लोभ, काम, चिंता, तनाव, भय तथा अन्य विकृत मानवीय भावों की मनःस्थिति में तैयार किया गया तथा ग्रहण किया गया भोजन मन तथा शरीर को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसीलिए जब कभी आप इस तरह की मनोदशा में हों तो भोजन न तो ग्रहण करना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। तो फिर क्या यह लाजिमी नहीं है कि भोजन को महज क्षुधा तृप्ति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मानव के आत्मिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में पोषित और सम्मानित किया जाना चाहिए?

श्रीप्रकाश शर्मा

कैसे मिलेगी बालश्रम से मुक्ति

लालजी जायसवाल

सभी देशों को अपने प्रयासों में तेजी लाकर दुनिया को बालश्रम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए

पिछले दिनों ब्यूनसआयर्स में बालश्रम पर लगभग 100 देशों का सम्मेलन हुआ था जिसमें यह चिंता जाहिर की गई थी कि अधिकांश सदस्य देश 2025 तक बालश्रम को समाप्त करने के अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। दरअसल इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का वह अनुमान है जिसके अनुसार विश्व भर में आज से सात वर्ष बाद भी लगभग एक अरब 21 करोड़ बच्चे अलग-अलग कार्यों में संलग्न पाए जा सकते हैं। अभी भी विश्व में पांच से 17 वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या एक अरब 52 करोड़ है। जाहिर है सभी देशों को अपने प्रयासों में तेजी लाकर दुनिया को बालश्रम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत में बालश्रम का एक प्रमुख कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी निरीक्षकों की कमी का होना भी है, जिसके फलस्वरूप यहां लगभग 71 फीसद बच्चे आज भी कृषि कार्य में लगे हैं जिनमें से 69 फीसद बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अतः यह अहसास करना लाजमी है कि इस स्थिति में देश का भविष्य कैसा होगा?

आज भी भारत में प्रतिदिन लगभग 40.3 लाख बच्चे स्कूल के बजाय काम पर जाते हैं। बालश्रम से निरक्षरता और गरीबी बढ़ती है। बच्चों का सामाजीकरण न होने से बच्चा समाज में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है जिससे समाज के मानवीय मूल्यों का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव व्यापार, आतंकवाद एवं ड्रग माफिया जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। आज समाज में पनपते अपराधों के पीछे कालांतर में बालश्रम की भूमिका है। सरकार से यही अपेक्षा है कि वह इसे रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाएगी। दुख की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत भारत सरकार बालश्रम के घृणित कार्यों को समाप्त करने की समय सीमा तक निर्धारित नहीं कर पाई है। देश के संविधान में बच्चों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे परिणामों का सामने आना कई सवाल खड़े करता है।

बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षित समाज एवं देश की बढ़ती जनसंख्या है। गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा के बजाय यदि श्रम में ही लगे रहते हैं तो उसकी गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गरीब को कमाने वाला चाहिए, लेकिन वह दूसरे पक्ष को कभी नहीं देखता कि गरीब परिवार का बच्चा पढ़-लिख कर परिवार की गरीबी दूर कर सकता है और सभ्य समाज का निर्माण भी कर सकता है। बच्चों को पारिवारिक उद्यम में संलग्न करना भी बालश्रम का कारण बनता है। बाल मजदूरी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो जाता है। कानून को कड़ाई से लागू करने के साथ-साथ शिक्षा इस समस्या को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकार को ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सभी गरीब बच्चे पढ़ सकें और फिर रोजगार हासिल कर सही दिशा में बढ़ सकें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत

शंकर शरण द्वारा लिखित आलेख 'हिंदू-मुस्लिम संवाद का सही आधार' में देश की हिंदू-मुस्लिम एकता के बीच फंसी हुई फांस को जिस साफगोई से रेखांकित किया गया है, वह आजाद भारत की जमीनी हकीकत है। माना कि भारत विभाजन में जिन्ना की मतवादी जिद जिम्मेदार रही, लेकिन उससे कहीं अधिक हमारी उदारता ने बेड़ा गर्क किया था। यदि जिन्ना की दुर्नियत को समय रहते भांप लिया जाता तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। मजे की बात यह रही कि भारत विभाजन के बाद भी उदारता की यह बयार अपनी गति से बहती रही और मुस्लिम बहुल कश्मीर में अस्थायी अनुच्छेद-370 और 35-ए के द्वारा देश के एक वर्ग को विशिष्टता का जामा पहना दिया गया। बाद में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कांग्रेसी राजनीति ने देश के संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का बताकर उदारता की सभी सीमाएं तोड़ दीं। तुष्टीकरण की विकृत राजनीति ने ही कश्मीर की शैव-सूफी दर्शन से समन्वित कश्मीरियत को छिन्न-भिन्न करने का काम किया। तत्कालीन केंद्र सरकार चाहती तो आतंकवाद की इस विभीषिका को रोक सकती थी, लेकिन तुष्टीकरण के कारण ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में यह जरूरी है कि जब एक पक्ष अपने को पीड़ित मानकर स्वयं के संरक्षण की बात करे तो उसे दूसरे पक्ष की उस पीड़ा को नजरंदाज नहीं करना चाहिए जो केरल, कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल में वह भोगता है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को मजबूत करने के लिए किया जाने वाला कोई भी प्रयास इस जमीनी हकीकत के मद्देनजर ही होना चाहिए कि राष्ट्र की प्रगति और शांति के लिए इस देश के हिंदू-मुस्लिम बराबर के जिम्मेदार हैं।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

चालान में तकनीक जरूरी

नया मोटर वाहन कानून सड़क पर चलने वालों लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, ताकि सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा मुहैया कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि जुर्माने की राशि अधिक है। बढ़े हुए जुर्माने राशि से वाहन चलाने वालों में अनुशासन बढ़ेगा और देश की सड़कें सुरक्षित होंगी। इस अधिनियम से सड़क दुर्घटना में होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। कुछ राज्य जुर्माने की राशि को लेकर सहमत नहीं हैं। ऐसे में राशि में अंतर और भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार को अधिनियम का एक बुनियादी ढांचा तैयार करना था और क्रियान्वयन की जवाबदेही राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए थी। लोगों में स्व-अनुशासन की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही समय पर सड़क, यातायात सिग्नल आदि की उचित देखभाल होनी चाहिए। पुलिस को तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। इससे न केवल निगरानी लागत में कमी आएगी, बल्कि लोगों की प्रताड़ना की आशंका घटेगी और परिणाम बेहतर होंगे।

sbbandhe95@gmail.com

कब समझेंगे जल का महत्व?

पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए पानी की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इसकी सबसे अधिक प्राथमिकता होने के बावजूद, इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक हो रहा है। हमारे जीवन का मुख्य केंद्र पानी है, लेकिन हम अपनी योजनाओं में इस केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर रहे हैं। हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से जल के स्तर को कम करते जा रहे हैं। आज जिस तरह विकास हो रहा है, वो जल और जीवन के लिए नरक का दरवाजा खोल रहा है। आखिर कब हम समझेंगे कि जल ही जीवन है।

praveensingh9910@gmail.com

देश में आर्थिक मंदी

इस समय देश में आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट है। भारत की जीडीपी दर 5.8 फीसद से घटकर 5 फीसद पर आ गई है। कृषि विकास दर में गिरावट, निर्माण सेक्टर में गिरावट और आय सृजन, बचत व खपत में गिरावट इस मंदी के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार इस संकट की घड़ी से निकलने के पुख्ता कदम उठा रही है। सरकार के प्रयास व देशवासियों के सहयोग से इससे जल्द निजात पाएंगे।

ashish.sharma100210@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।